

विचार बिन्दु

“जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।” - अरविन्द कटोच

क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है?

क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है? दिनांक 13 सितम्बर, 2025 को चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र द्वारा जो उसने अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट के द्वारा प्रेषित एक पीआईएल में दिया है, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि चुनाव आयोग समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (रैप) करायें, क्योंकि कुछ राज्यों में बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। इस पीआईएल पर विरोध प्रदर्शन करते हुये चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में घोषणा की है कि निर्वाचन सूची की पवित्रता और अखण्डता को अधुष्ण रखने के संवैधानिक व वैधानिक उत्तरदायित्व को आयोग समझता है और वह मानता है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अथवा सामान्य पुनरीक्षण असेम्बली के जररल चुनाव अथवा बाई चुनाव से पूर्व कृपे और यह चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है। शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट चुनाव आयोग का कथन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बाबत दिया गया कोई भी निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र में जो बिना किसी नियंत्रण के संविधान ने दिया उसमें हस्तक्षेप होगा।

चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रूत 25 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, Registration fo Electors Rules 1960 सप्टेंबर धारा 21 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आकर्षित किया है जिसमें चुनाव आयोग का दायित्व निर्धारित किया है कि वह मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करायें उसमें समयावधि का कोई प्रतिबंध नहीं है। जररल इलेक्शन से पूर्व पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है।

चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में यह भी कहा है कि विशेष पुनरीक्षण के कार्य में 1 जनवरी, 2026 को योग्यता तारीख माना जावेगा जिसका अर्थ है इस तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरी की है उन नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

अपने गत अतिथि सम्पादकीय में लेखक ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को अधिकारियों को बुलाई गई बैठक में निर्देश दिये हैं, उनके अनुसार कोई भी नागरिक मतदाता मतदसूची से बाहर न रहे जावे और अपात्र इसमें शामिल न हों। आधार कार्ड को 11 अन्य दस्तावेजों के साथ शामिल किया जावे ये दस्तावेज निवास स्थान को प्रमाणित करते हैं, वे व्यक्ति की नागरिकता के प्रमाण नहीं है। यह भी निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जांच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था। विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर 2024 के मध्य हुआ है। उनसे अपने माता पिता के जन्म स्थान के दस्तावेज लिये जावें।

उक्त लेख में स्पष्ट किया है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध, त्रुटिहीन मतसूची पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में चुनाव

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध, त्रुटिहीन मतसूची पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों की संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करने का और निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण व निर्देशन और नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिक को दिया है

पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों की संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करने का और निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण व निर्देशन और नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिक को दिया है जिन्हें वयस्क मताधिकार दिया है। संसद का चुनाव की प्रक्रिया के हेतु कानून

बनाने का अधिकार दिया है और कानून को सुविधाजनक रूप से संचालित हो उसके हेतु नियम बनाने का प्रावधान है। संविधान के प्रावधान के अधीन ही संसद का कानून और रूल्स है। यह भी अनुच्छेद 329 में स्पष्ट है कि निर्वाचन सम्बन्धित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप भी वर्जित है।

चुनाव आयोग ने देश में मतसूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारम्भ किये जाने के आदेश भी जारी किये हैं।

चुनाव आयोग (निर्वाचन आयोग) ने अपने शपथ-पत्र के तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि समयबद्ध एसआईआर कराने के निर्देशन की प्रार्थना चाही गई याचिका खारिज की जावे, क्योंकि नियमित अन्तराल पर पूरे देश में एसआईआर कराने का निर्देश देना, चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा।

विहार एसआईआर मामलों में डाफ्ट मतदाता सूची जा की जा चुकी है चुनाव आयोग ने अपने एडवोकेट के माध्यम से सूचित किया है कि 7.24 करोड़ मतदाताओं के नामों में से 99.6 वोटरों ने अपने नाम शामिल करने के फार्म भरकर दे दिये हैं, केवल विवाद 65 लाख तथाकथित मतदाताओं के नाम हैं वो भी तीन केटेगरी के हैं, मृतक, अवैध प्रवासी तथा वे हैं, जिनका नाम तो जगह है। यह भी विवाद सामने आया है कि लोगों ने मतदाता सूची में स्थान पाने के लिये जो आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि डोक्यूमेंट्स दिये हैं वे फर्जी हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन पर कड़े शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि विहार एसआईआर की वैधता पर कोर्ट का जो निर्णय होगा वह Pan India Exercise देशव्यापी एसआईआरद्ध पर भी लागू होगा, क्योंकि कोर्ट टुकड़ों में निर्णय नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की इसी खण्डपीठ ने पूर्व में कई अन्तरिम आदेश दिये हैं जिनमें आधार कार्ड को अन्य 11 डोक्यूमेन्ट्स के साथ निवास के डोक्यूमेंट के रूप में माने जाने का आदेश भी है, जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, किन्तु मतदाता सूची में से नाम काटे जाने अथवा जोड़ने पर देखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट विहार एसआईआर की वैधता पर दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 को सुनेगी और अन्तिम निर्णय देगी। अश्विनी उपाध्याय ने माननीय खण्डपीठ से निवेदन किया कि देशव्यापी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया लम्बी होगी चाहिये तथा अवैध प्रवासियों के नाम जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम काटे जाने चाहिये। अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट ने अतः कोर्ट से निवेदन किया कि माननीय खण्डपीठ अपने पूर्ववर्ती आदेश को जिसमें आधार कार्ड को भी नाम काटे जाने अथवा जोड़ने के मामले में विचार करने का उल्लेख था उसे संशोधित किया जावे, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस प्रार्थना-पत्र का नोटिस विपक्ष को दिये जाने का आदेश दिया गया है। अतः यह माना जाता है कि इस विषय पर बहस होगी।

–अतिथि सम्पादक पानाचन्द जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल शुक्रवार 19 सितम्बर, 2025			
आश्विन मास कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत् २०८२, आश्लेषा नक्षत्र प्रातः ७.०६ तक, सिद्ध योग रात्रि ८.४१तक, गर करण दिन ११.३६ तक, चन्द्रमा प्रातः ७.०६ से सिंह राशि में संचार करेगा।ग्रह स्थिति – सूर्य–कन्या, चन्द्रमा–कर्क, मंगल–तुला, बुध–कन्या, गुरु मिथुन, शुक्र–सिंह, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में संचार करेगा। आज भद्रा रात्रि ११.३७ से आरम्भ होगी। आज त्रयोदशी ओर मघा का श्राद्ध, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, कलयुगमादि तिथि है युगान्द ५.२७ आरम्भ होगा। श्रेष्ठ चौघडिया – चट–सूर्योदय से ७.४८ तक, लाभ–अमृत ७.४८ से १०.५० तक, शुष १२.३१ से १.५१ तक, चट ४.५५ से सूर्यास्त तक राहुकाल – १०.३० से १२.०० तक सूर्योदय ६.१८ सूर्यास्त ६.२३			
मेघ	सिंह	धनु	

परिजन के व्यवहार के कारण मन विग्रह हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है।

वृष घर–परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। घर–गृहस्थी में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार सुख सुविधाएं बढेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यवसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यवसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क घर–परिवार में वाद–विवाद हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक–सामाजिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है। वाणि पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। व्यवसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक व्यवसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यवसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। व्यवसायिक आय में वृद्धि होगी।

मीन व्यवसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यवसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यवसायिक सम्पर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिती ठीक रहेगी।

संपादकीय

भारत को आर्थिक व रणनीतिक छलांग के लिए एक ही मंत्र चाहिए-निजी क्षेत्र को शोध और नवाचार में खुली छूट



सुनील दत्त गोयल

आर एंड डी में निजी क्षेत्र को फ्री-हैंड; भारत की अगली छलांग का पासपोर्ट भारत को अपनी अगली आर्थिक और रणनीतिक छलांग के लिए एक ही मंत्र चाहिए-निजी क्षेत्र को शोध और नवाचार में खुली छूट और बड़े प्रोत्साहन। आज भारत का कुल निवेश जौडीपी के लगभग ०.५-०.७ के दायरे में अटका है, जबकिप्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ३.५-४.५ तक पहुंच चुकी हैं। चीन न सिर्फअधिक निवेश करता है, बल्तिकेपनियों को १२५-१५० तक के सुपर-डिडक्शन, लंपसम कैश बोनस और पेटेंट खर्चका रीइन्वर्समेंट जैसी उदार नीतियां देकर निवेश को गुणा देता है-अर्थात यदिकोई कंपनी १०० करोड़ में लागती है तो कुल सरकारी सहायता का प्रभाव २५०-३०० करोड़तक हो जाता है। भारत को भी यही करना होगा: लागत घटाइए, जोखिम बाँटिए, और निजी पूंजी को नवाचार की लोडमें आगे बढ़ाइए। भारत को सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार-सर्विलांस/मॉनिटरिंग, रक्षा उत्पादन और मेडिकल-फार्मा पर तत्काल प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकियही क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता और रोजगार सृजन के सबसे मजबूत इंजन बन सकते हैं।

सूचना-प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को २० स्तर पर परिभाषित और मान्यता दिलाई है, जिससे पहचान, भुगतान और डेटा-

टवेरा गाडी जवाई नदी के बहाव में फंसी

सायला, (निसं)।थानाक्षेत्र केबोरवाडा गांव में जवाई नदी में रफ्ट के ऊपर से बहते पानी को पार करने के दौरान सवारियों से भरी एक टवेरा गाडी बहते पानी के बीच फंस गई। जिससे एक बार तो गाडी में सवार यात्रियों की संसे अटक गई। गनीमत रही कि नदी का वेग सामान्य था। अन्यथा बडा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार बोरवाडा में जवाई बांध के पानी की निकासी से जवाई नदी रफ्ट के ऊपर से प्रवाहित हो रही है। जिससे आमजन व वाहनों की आवाजाही बंद है। लेकिन गुनवार को रानीवाडा कांब